मूलवाद 2024/035

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
अमरजीत सिंह बनाम सुमित्रा बाई व अन्य
विविध प्रार्थना संख्या 2024/028
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
19.06.2024	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गुरचरण सिंह द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थीगण के निवेदन एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थीगण के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एक पक्षीय सुना जाकर प्रशनगत आराजी चक 3 एफ बड़ा, पटवार हल्का कोनी, भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता सख्या 41/13 के मुरब्बा नं. 1, 15 की कुल 6.325 हैक्टे0 कृषि भूमि एवं चक 4 एफ बड़ा, पटवार हल्का कोनी, भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता सख्या 56/45 के मुरब्बा नं. 7 की कुल 3.162 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि में से 1.518 हैक्टे नहरी कृषि भूमि पर राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी पेशी तक बनाए रखने के लिए अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। वकील प्रार्थीगण रजिस्टर्ड ए.डी. से तामील करवाकर 07 दिवस में रसीदें पेश करे। इसके अभाव मे अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। नोटः– 1. उक्त आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251–क के प्रकरणों पर प्रभावी नहीं होगा। 2. सीपीसी आदेश 39 नियम 2, 3 की पालना की जावे। अप्रार्थीगण के नाम से रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 16 जुलाई, 2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) जीतू कुलहरी R.A.S सहायक कलक्टर एव कार्यापालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर	
16/07/24	अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को जारी रजिस्टर्ड नोटिस की रसीदें व ट्रैकिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई। आज पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/8/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:22:26 IST
Reason: SelfAttested

28/05/25 अभिलेखावलोकन किया, मुकदमा पत्रावली के मुताबिक राजीनामा बाद फैसला किया गया है। अतः मुकदमा के निस्तारण उपरान्त दि॰ प्रा॰ पत्र 212 RTA का कोई औचित्य नहीं रह जाता है अतः दि॰ प्रा॰ पत्र 212 RTA संख्या 2024/028, आगरा अमरजीत सिंह बनाम सुमित्रा बाई इत्यादि वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नस्तीकृत हो पत्रावली दाखिल दफ्तर से पहले नाजिर सिजिल की सूची में शामिल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:22:26 IST
Reason: SelfAttested